न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 51 / 2015

1 घीसालाल पुत्र दिलसुख जाति जाट निवासी पालड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 भंवरी देवी पुत्री दिलसुख जाति जाट निवासी पालड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ पत्नी विधाधर जाति जाट निवासी हाल आबाद ग्राम बासनी बैरास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

2 मोहनी देवी पत्नी राजकुमार जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पालड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

3 प्रहलाद पुत्र हरजीराम।

4 बनवारीलाल पुत्र उमाराम।

5 खांगाराम पुत्र लिखमाराम।

5/1 राजेन्द्र पुत्र खांगाराम।

5/2 मनोहर पुत्र खांगाराम।

5/3 संतरा पुत्री खांगाराम।

6 फूसाराम पुत्र लिखमाराम।

7 सुल्तान पुत्र लिखमाराम समस्त जाति जाट निवासीगण पालड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

8 करणाराम पुत्र भगवानराम।

9 दयाराम पुत्र भगवानाराम।

10 श्रीचन्द पुत्र भगवानाराम समस्त जाति जाट निवासीगण खींवासर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

11 पटवारी हल्का पालड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
12 पटवारी हल्का लालासी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
13 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
14 उप पंजियक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
15 शाखा प्रबन्ध राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कुदन तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील विरूद्व निर्णय व आदेश दिनांक 27.04.2015
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ मुकदमा
नम्बर 62/2012 बउनवानी घीसालाल बनाम भंवरी
पीठासीन अधिकारी श्री महावीर प्रसाद नायक
आर.ए.एस.

उपस्थिति :

1. श्री नोपाराम जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नरेन्द्र पारीक, अधिवक्ता रेस्पोंडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 18.08.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा संख्या 62/2012 में पारित निर्णय दिनांक 27.04.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अदालत मातहत में अपीलांट /आवेदक/प्रतिवादी नम्बर 1 ने एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 व धारा 151 सीपीसी इन कथनों के साथ पेश किया कि रेस्पोडेंट नम्बर 1/

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

अनावेदक/वादिया ने एक वाद मुकदमा नम्बर 138/2012 बउनवानी भंवरी देवी बनाम घीसालाल आदि अदालत मातहत में दिनांक 13.07.2012 को घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत पेश किया जिसमें दिनांक 05.11.2012 को अपीलांट के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश प्राप्त किया तथा दिनांक 30.11.2012 को एक पक्षीय निर्णय एवं डिक्री प्राप्त कर ली जो कानूनन अपास्त होने योग्य है। वादिया ने अपना वाद न्यायालय में दिनांक 13.07.2012 को प्रस्तुत किया एवं इसी दिन दर्ज किये जाने का आदेश पारित हुआ तथा प्रतिवादीगण की तलबी का आदेश हेतु आगामी पेशी दिनांक 27.08.2012 का पारित किया। वादिया ने तामील कुनिन्दा से साज करके प्रतिवादी नम्बर 1 को सम्मन नही भिजवायें तथा न तामील करवाई तथा कार्यालय में बैठकर प्रतिवादी नम्बर 1 के घर पर मौजूद नहीं मिलने एवं गांव गया हुआ होने व घर पर नाबालिग बच्चे मिलने व खुले मान पर नोटिस की पड़त चस्पा करने की मोहर लगाकर झुठी तामील रिपोर्ट प्रस्तुत करवा दी तथा अपने साजसी लोगों के हस्ताक्षर करवा दिये तथा एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिनांक 05.10.2012 को प्राप्त कर लिया तथा दिनांक 30.11.2012 को एक पक्षीय डिक्री प्राप्त कर ली। प्रतिवादी नम्बर 1 की तामील पर्याप्त नहीं थी तथा न ही तामील कुनिन्दा को घर पर लेकर गये तथा प्रतिवादी नम्बर 1 घर पर ही रहता है। प्रतिवादी संख्या 1 की गैर हाजरी समय न मिलने के कारण हुई है तथा एक पक्षीय कार्यवाही एवं एक पक्षीय निर्णय एवं डिक्री न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्त के विपरित होने के कारण अपास्त होने योग्य है। प्रतिवादी नम्बर 1 तामील से भी नहीं बच रहा था तथा न ही अन्य कोई ऐसा कारण था की तामील नहीं हो सके तथा तामील से बचने का तथ्य न्यायालय के सामने आने पर ही चस्पांदगी से तामील का आदेश किया जाता किन्तु बिना चस्पांदगी से तामील के आदेश के ही तामील कुनिन्दा ने चस्पांदगी से तामील के आदेश के ही तामील कुनिन्दा ने चस्पांदगी से तामील की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जो रिपोर्ट सी.पी.सी. के आदेश 5 नियम 20 के प्रावधानों के विपरित है तथा एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश एवं एक पक्षीय डिक्री अपास्त होने योग्य है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकार।
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

सम्मन पर हीरालाल व विजय सिंह का नाम अंकित है जिनका पूरा पता एवं उम्र अंकित नहीं है तथा तामील अपर्याप्त है। न्यायहित में प्रतिवादी नम्बर 1 को सुनवाई का अधिकार निर्णय व डिक्री को अपास्त करके दिया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी नम्बर 1 बैंक में के.सी.सी. बनवाने हेतु दिनांक 07.12.2012 को गया तब बैंक वालो ने वाद के बाबत बताये तब आवेदक ने माननीय न्यायालय ने पता किया तो दिनांक 10.12.2012 को नकल मिलने पर एक पक्षीय कार्यवाही एवं डिक्री की जानकारी हुई तथा इससे पूर्व कोई जानकारी नहीं हुई तथा आवेदन अन्दर मियाद है। अत एक पक्षीय आदेश दिनांकित 05.10.2012 व एकपक्षीय डिक्री दिनांक 30.11.2012 अपास्त फरमायी जावे व सुनवाई का मौका दिया जावें। अप्रार्थी नम्बर 1 ने आवेदक प्रतिवादी नम्बर 1 के इस आवेदन का कोई जवाब प्रस्तुत नही किया। अदालत मातहत ने प्रतिवादी नम्बर 1 के इस आवेदन को अपने आदेश दिनांक 27.04.2015 द्वारा खारिज कर दिया । इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील नही हुई है। विचारण न्यायालय के बिना किसी विधिक आदेश के अपीलांट के नोटिस चस्पांदगी से तामील बताये गये है। विधि अनुसार आदेश 5 नियम 20 के तहत आदेश जारी कर चस्पादंगी से तामील करवाई जाती है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना सम्यक तामील मानते हुये अपीलांट के विरूद्व विधि विरूद्व रूप से एक पक्षीय कार्यवाही कर सुनवाई का अवसर दिये बिना विचाराधीन आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय ने आदेश 9 नियम 13 के आवेदन पर तामीली रिपोर्ट का आदेश 5 नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार विवेचन किये बिना विचाराधीन आदेश से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 खारिज करने में विधिक भुल की है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 2004 पेज 9, आर.आर.डी. 2007 पेज 463 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन आदेश विधि सम्मत है। आदेश 5 नियम 17 के अनुसार तामील व्यक्तिशः अथवा परिजन जो उसके साथ रहते हो, को अथवा अनुपस्थिति पर दो गवाहों की उपस्थिति में चस्पादंगी का प्रावधान है। प्रस्तुत प्रकरण में दो गवाह की मौजुदगी में सम्मन चस्पा किये गये है। सम्मन चस्पा करने के दिन अपीलांट घर पर मौजुद था। ऐसा कोई कथन अपील मेमों मे नही किया गया है। विवादित भूमि पैतृक है जिसमें बहिन का बराबर हिस्सा है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में इस स्तर पर अपीलांट को विचारण न्यायालय में सम्यक तामील हुई अथवा नही इस बिन्दु पर विवेचन किया जाना है। विचारण न्यायालय मे वादिया ने अपना वाद न्यायालय में दिनांक 13.07.2012 को प्रस्तुत किया एवं इसी दिन दर्ज किये जाने का आदेश पारित हुआ तथा प्रतिवादीगण की तलबी का आदेश हेतु आगामी पेशी दिनांक 27.08.2012 का पारित किया। प्रतिवादी नम्बर 1 की तामील पर्याप्त नहीं थी तथा न ही तामील कुनिन्दा को घर पर लेकर गये तथा प्रतिवादी नम्बर 1 घर पर ही रहता है। प्रतिवादी संख्या 1 की गैर हाजरी सम्मन नही मिलने के कारण हुई है तथा एक पक्षीय कार्यवाही एवं एक पक्षीय निर्णय एवं डिक्री न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्त के विपरित होने के कारण अपास्त होने योग्य है। क्योंकि बिना चस्पांदगी से तामील के आदेश के ही तामील कुनिन्दा ने चस्पांदगी से तामील की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जो रिपोर्ट सी.पी.सी. के आदेश 5 नियम 20 के प्रावधानों के विपरित है यहां यह भी विचारणीय है कि सम्मन पर हीरालाल व विजय सिंह का नाम अंकित है जिनका पूरा पता एवं उम्र अंकित नहीं है ऐसी स्थिति में तामील को सम्यक नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही कर विधिक भूल की है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. जुलाई 2007 पेज 463 में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि " Code of Civil Procedure, Order9, Rule 13, Order 5, Rule 17- Revision order of S.D.O. - Perusal of the order sheet reveals that summons not in the court on 14.12.1995 - Court should have issued summons service of summons held not proper as per order 5 Rule 17, C.P.C.- Service of summons has been made by affixing the summons without any order of the court - Under the circumstances, petitioner was not heard - In the interest of Justice, one more chance be given to petitioner at a cost of Rs.200/- Application under Order9, Rule 13, allowed - Order of S.D.O. and R.A.A., set aside - Order and decree of Dy. Collector dt. 16.03.1996, set aside - Case remanded to S.D.O. with directions.

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा दावा संख्या 138/2012 बउनवानी भंवरी देवी बनाम घीसालाल आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2012 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 में पारित निर्णय दिनांक 27.04.2015 अपास्त किये जाते है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि दावा संख्या 138/2012 में अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन: विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर